भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4034
सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

सामाजिक सुरक्षा के साथ नौकरी

4034. श्री के. नवासखनीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि देश को नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता है जिससे न केवल अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि इस प्रकार सृजित नौकरियों में उचित वेतन, नौकरी की कार्यकाल की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि बेरोजगारी भत्ता या शहरी रोजगार गारंटी जैसी सोच से बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह से हल करने की संभावना नहीं है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ख): संसद द्वारा चार संहिताए जैसे मजदूरी संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यकारी दशाएं संहिता; औद्योगिक संबंध संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता पारित की गई हैं। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी कामगारों को समय पर मजदूरी का भुगतान, नियुक्ति पत्र का प्रावधान, और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी प्रावधान की परिकल्पना की है ताकि कामगारों के लिए एक विशाल सुरक्षा कवच सुनिश्चित किया जा सके।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30-06-2021 से बढ़ाकर 31-03-2022 कर दिया गया है। 12.03.2022 तक 1.35 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 51.95 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 11.03.2022 तक, 34.08 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) सरकार का एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 7 के अनुसार, यदि किसी आवेदक को रोजगार के लिए आवेदन की प्राप्ति के, या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में रोजगार मांगा गया है, इनमें से जो भी बाद में हो, 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तब उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत शामिल कर्मचारी बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) नामक दो बेरोजगारी भत्ता योजनाएं हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों (आईपी) को राहत प्रदान करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए पायलट आधार पर 01.07.2018 से शुरू किया गया था। इस योजना को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा हों।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत संकेन्द्रण के साथ रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****